न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–75 / 2018 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या:–2018 / 00042

उनवान

1. मौजीराम पुत्र उंकार मीना जाति मीना पेशा काश्तकार उम्र 70 वर्ष निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. जगन्नाथ पुत्र सुरजन मीना जाति मीना पेशा काश्तकार उम्र 55 वर्ष निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांटस्।

बनाम

1. सहायक भू प्रबंध अधिकारी महोदय सवाई माधोपुर सेटलमेंट विभाग सवाई माधोपुर।(डजफ)
2. तहसीलदार महोदय मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर।
3. ग्राम पंचायत भूखा जरिये सरपंच तहसील मलारना डूंगर।

रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 20.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 33 / 17 बउनवान मौजीराम वगैरह बनाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष अंतर्गत धारा की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 88, 188एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा नंबर 137 रकबा 3 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 1080 / 161 रकबा 0.75 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

पर उपलब्ध साक्ष्यो से विपरित होने से निरस्तनीय है।

2- यह कि तहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गोर नहीं किया की ए ही एम

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कानुनी प्रकिया के मुताबिक किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र के पश्चात बाद तलवी जवाब दावा लगना चाहिये दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनमीयात कायम की जानी चाहिए तत्पश्चात् वादीगण एवं उनके गवाहान के बयान वाद में प्रतिवादीगण एवं उनके बयान रिकार्ड पर लिए जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार परी वाद पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए लेकिन मातहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य की को तुलना किए ही वाद पत्र को खारिज कर दिया जो विधि विपरीत है। अतः अर्पील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 16.05.18 का निरस्त किया जावें।

6. जवाब बहस में पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि राजस्व भु–प्रबंध विभाग द्वारा की गई तरमीम सही की गई है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय सभी साक्ष्यों का अवलोकन कर किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2069–2072 वाके ग्राम भूखा तहसील मलारना डूंगर सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 1080/161 रकबा 0.75 है0 भूमि प्रकार गैर मुमकिन आबादी सहित कुल किता 123 कुल रकबा 201.86 है0 दर्ज रिकार्ड है। **प्रथमः** मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 16.05.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस्/वादीगण का वाद पत्र केवल मौके पर उपस्थित तहसीलदार, गिरदावर, व ग्रामवासियों के साथ की गई चर्चा के आधार पर ही निस्तारित किया गया है। विधि मे ऐसा कोई नियम नही है कि किसी भी वाद को चर्चा के आधार पर निर्णित किया जा सकता हों।

द्वितीयः अपीलांटस्/वादीगण को उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही वाद पत्र खारिज किया गया है। अतः मातहत अदालत का निर्णय विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी के मुकदमा नंबर 33/17 बउनवान मौजीराम वगैरह बनाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदार करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

पर उपलब्ध साक्ष्यो से विपरित होने से निरस्तनीय है।

2- यह कि तहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गोर नहीं किया की ए सी एम

हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित किया जावें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 22.03.23 को मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष उपस्थित होवें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 20.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 20.2.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से निरस्तनीय है।

भूखा में स्थित है। वादीगण की 3 बीघा आराजी की तरमीम पुराने खसरा नंबर 137 के आबादी के नये खसरा नंबर 1080/161 की जो तरमीम पुराने की गई है वह मुताबिक 137 के 3 बीघा आबादी के स्थान पर न करके अन्य जगह कर दी गई है जिसे हजफ करवाकर वर्तमान तरमीम की जगह को चारागाह घोषित कर वर्तमान कब्जे के स्थान पर उक्त तरमीम को दुरूस्त कर वादीगण के कब्जे की जगह तरमीम की जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 16.05.18 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र मौके पर उपस्थित तहसीलदार, गिरदावर, ग्राम वासियों के साथ की गई चर्चा को आधार मानकर खारिज फरमा दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष यहां साबिक खसरा नंबर 137 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित ग्राम भुखा आबादी भूमि में कन्वर्ट हेतू प्रा0 पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.02.07 को तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आबादी प्रस्ताव भेजा गया तथा मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार द्वारा पत्र कमांक 14577 दिनांक 22.03.07 को जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को उक्त आराजी में बने आवासो निरंतर कब्जा होने के कारण पंचायत द्वारा दिए गये प्रस्ताव के आधाार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करते हुए कार्यवाही की जावे। इसके पश्चात राजस्व ग्रुप 6/प/3(33)/राज0/6/2007/17 जयपुर दिनांक 13.06.07 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन के कम मे भिजवाया गया जो दिनांक 21.07.07 के अनुसरण में ग्राम भुखा की भुमि साबिक खसरा नंबर 137 मे से 3 बीघा भुमि राज0 भु राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत आबादी हेतु आवंटित की गई। आवंटन की संपूर्ण प्रकिया के उपरांत नक्शा ट्रेस में तरमीम बिना मौका कब्जा जांच किए उठा दी गई। जबकि मौके पर खसरा नंबर 161 के उपर की ओर तरमीम की जानी थी। दिनांक 09.05.18 को सम्मन पेश करने हेतु दिनांक 16.05.18 तारीख पेशी वास्ते तलवी हेतू नियत की गई थी लेकिन अपीलांटस्/वादीगण को बिना सूचना दिए ही अभियारन न्याय आपके द्वार 2018 के तहत ग्राम पंचायत भुखा में अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया। इन तथ्यों पर गौर किए बिना मातहत अदालत द्वारा अपीलांटगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया गया जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 16.05.18 को अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:49 IST
Reason: SelfAttested

पर उपलब्ध साक्ष्यो से विपरित होने से निरस्तनीय है।

2- यह कि तहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गोर नहीं किया की ए सी एम